**न्यायालय: अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई, जिला दौसा (राज.)**

**पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रोमा भाटिया, आर.जे.एस.**
**(UID No. RJ01079)**

| | | |
|---|---|---|
| नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या | – | 229/2015 |
| सी.आई.एस. नंबर | – | 425/2020 |
| सी.एन.आर. नंबर | – | RJDS070010742015 |
| प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या | – | 151/2015, पुलिस थाना बसवा। |

राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी

**बनाम**

पप्पूराम पुत्र रामस्वरूप, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम करनावर, थाना बसवा, जिला दौसा।

**––अभियुक्त**

**अपराध अंतर्गत धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम**

**उपस्थित:–**

1. विद्वान अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री आर.के. मीना – अभियुक्त की ओर से।

**//निर्णय//** **दिनांकः 13/03/2026**

01– हस्तगत प्रकरण में माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय, दौसा के आदेश क्रमांक स्था./2026/06 दिनांक 13.01.2026 के तहत श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई के न्यायालय से इस न्यायालय को अंतरित होकर दिनांक 23.11.2025 को प्राप्त हुआ।

02– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 06.06.2015 को परिवादी राजीव कुमार एसआई ने मजमून रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 6–6–15 को थानाधिकारी राजीव कुमार मय हमराही जाप्ता कानि. महावीर नं. 808, कानि. शीशराम नं. 36, कानि. सुरेश नं. 1063 मय जीप सरकारी चालक मुकेश कुमार नं. 1076 के मय गैर सायल पप्पूराम व मय जप्त ट्रेक्टर स्वराज 735FE मय ट्रोली के जिसमें करीब 70 मन पत्थर भरे हुए थे के बहवाले रपट नम्बर 248 समय 9.10 ए.एम. का रवाना शुदा हाजिर स्पेशल एक्ट की कार्यवाही हेतु मन थानाधिकारी हमराही जाप्ता के समय 9.10 ए.एम. पर थाने से रवाना होकर वास्ते करने गस्त व निगरानी बदमाशान व लोकल व करीब 9.40 ए.एम. पर गुल्लाना पहुंचा तो सामने बांदीकुई की तरफ से उपस्वास्थ्य केन्द्र गुल्लाना के पास एक ट्रेक्टर स्वराज 735FE मय ट्रोली रंग पीला हरा को रूकवाया गया तो ट्रोली में करीबन सत्तर मन पत्थर भरे हुए को रोककर चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पप्पूराम पुत्र श्री रामस्वरूप उम्र 40 साल निवासी करनावर थाना बसवा जिला दौसा होना बताया व चालक से पत्थरों को लाने ले जाने बाबत अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स पूछा तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स होना नहीं बताया तथा पत्थरों को लाने बाबत पूछा तो बताया कि करनावर के पहाड से अवैध खनन कर लाना बताया। उक्त शख्स का वन सम्पदा से अवैध खनन कर पर शख्स मजकूर के कब्जे से ट्रेक्टर स्वराज 735FE मय ट्रोली मय पत्थरों के जरिये फर्द जप्त मौका किया गया व शख्स उपरोक्त को मौके पर ही गिरफ्तार किया जाकर ट्रेक्टर को जप्त किया, इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बसवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2015 अपराध अन्तर्गत धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान थानाधिकारी पुलिस थाना बसवा ने अभियुक्त पप्पूराम के विरूद्ध 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जिस पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांदीकुई द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम में प्रसंज्ञान लिया जाकर मुकदमा नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया।

03– तत्पश्चात न्यायालय द्वारा बहस आरोप सुनकर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम का आरोप पृथक से लिखाया जाकर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने सुन–समझकर आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

04– अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह पी.डब्लू. 1 शीशराम, पी.डब्लू. 2 महावीर, पी.डब्लू. 3 हरिकिशन, पी.डब्लू. 4 विनेश, पी.डब्लू. 5 रामजीलाल, पी.डब्लू. 6 सुरेश चंद, पी.डब्लू. 7 प्रताप सिंह, पी.डब्लू. 8 विमल, पी.डब्लू. 10 अशोक कुमार को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 1, फर्द बरामदगी एवं जप्ती ट्रैक्टर प्रदर्श पी 2, फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पप्पूराम प्रदर्श पी 3, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4, रोजनामचा थाना बसवा प्रदर्श पी 5, फर्द जप्ती ट्रैक्टर प्रदर्श पी 6, नोटिस 133 एमवी एक्ट प्रदर्श पी 7, वनपाल अधिकारी गुढ़ाकटला को प्रेषित पत्र प्रदर्श पी 8, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 9, जमाबंदी प्रदर्श पी 10, नकल रपट रोजनामचा प्रदर्श पी 11, माल निस्तारण न्यायालय के आदेश प्रदर्श पी 12, मालखाना टी.सी. प्रदर्श पी 13 दस्तावेजात पेश कर प्रदर्शित करवाये।

05– अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में लेखबद्ध किए गये तो अभियुक्त ने गवाहान के कथनों को गलत होना जाहिर किया एवं कथन किया कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त ने साफ सफाई पेश करने से इन्कार किया।

06– बहस अन्तिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निर्णय किये जाने योग्य बिन्दु यह है कि:–

1. ''क्या अभियुक्त ने दिनांक 06.06.2015 को किसी समय मौजा करनावर के पहाड से वन विभाग की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से वन विभाग के कब्जे से करीब 70 मन पत्थर हटाये तथा अवैध रूप से वन विभाग की सम्पदा पत्थर एक बिना नम्बरी ट्रेक्टर बिना

वैध अनुज्ञा पत्र के चालक अनुज्ञप्ति, बीमा प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण के परिवहन किया ?

2. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का भागीदार होगा ?

07– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का संदर्भ प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होने का कथन किया तथा यह भी कथन किया कि अभियोजन के सभी गवाहान ने अपनी साक्ष्य से मामला पूर्णतया साबित किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने यह भी जाहिर किया कि उसने वन विभाग की भूमि से कोई खनन नहीं किया और वह करनावर की पहाडी से पत्थर नहीं ला रहा था। अंत में अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित करने का निवेदन किया।

08– दौराने बहस अभियोजन अधिकारी के उपर्युक्त तर्कों का विरोध करते हुए अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा कि अभियोजन पक्ष की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हैं। अभियोजन पक्ष अभियुक्त पर आरोपित अपराध को संदेह से प्रमाणित नहीं कर पाया है। अभियोजन की ओर से पेश गवाहान में गंभीर विरोधाभास है। अभियुक्त को काल्पनिक साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में संलिप्त किया गया है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

09– उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण करने तथा संबंधित विधि का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर आया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट 151/2015 प्रदर्श पी 4 अन्तर्गत धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता दिनांकित 06.06.2015 इस आशय की दर्ज की कि थानाधिकारी राजीव कुमार डूडी मय हमराही जाप्ता कानि. महावीर नं. 808, कानि. शीशराम नं. 1036, कानि. सुरेश नं. 1063 मय जीप सरकारी चालक मुकेश कुमार नं. 1076 के मय गैर सायल पप्पूराम व मय जप्त ट्रेक्टर स्वराज 735FE मय ट्रोली जिसमें करीब 70 मन पत्थर भरे हुए थे के हाजिर थाने आये और स्पष्ट किया कि थानाधिकारी मय जाप्ता रवाना होकर गश्त और निगरानी बदमाशान करते हुए कस्बा बसवा से गश्त करते हुए 9.40 एएम पर

गुल्लाना पहुंचा तो सामने बांदीकुई की तरफ से उपस्वास्थ्य केन्द्र गुल्लाना के पास एक ट्रेक्टर स्वराज 735FE मय ट्रोली रंग पीला हरा को रूकवाया गया तो ट्रोली में करीबन सत्तर मन पत्थर भरे हुए को रोककर चालक का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पप्पूराम होना बताया और चालक से पत्थरों को लाने ले जाने बाबत अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स पूछा तो अपने पास कोई अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स होना नहीं बताया तथा पत्थरों को लाने बाबत पूछा तो बताया कि करनावर के पहाड से अवैध खनन कर लाना बताया जिस संदर्भ में पप्पूराम को गिरफ्तार कर ट्रोली मय पत्थर को जप्त किया गया। यह जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में एफआईआरकर्ता राजीव कुमार डूडी को बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं।

10– इस संदर्भ में यदि प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्लू. 1 शीशराम के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 06.06.2015 को थाना बसवा में कांस्टेबल के पते पर तैनात होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उस दिन थाना पर 9.10 एएम पर थानाधिकारी राजीव डूडी, महावीर कानि. 806, सुरेश 1063, जीप सरकारी मय चालक मुकेश 1076 के साथ निगरानी बदमाशान व गश्त हेतु 9.40 एएम गुल्लाना से बांदीकुई रोड पर पहुँचे तो पीएचसी उपस्वास्थ्य केन्द्र गुल्लाना के पास एक ट्रेक्टर स्वराज 735 मय ट्रॉली पत्थर से भरा हुआ बांदीकुई की तरफ से आता हुआ मिला जिसको थानाधिकारी ने जाप्ते के सहयोग से रूकवाया तथा चालक से नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम पप्पूराम होना बताया। इसी के अग्रसरण में गवाह द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ट्रेक्टर ट्रॉली में लगभग सत्तर मण चेजा पत्थर भरे थे जिसको लाने ले जाने बाबत राजीव डूडी ने चालक से वैध लाइसेंस व परमिशन के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया। इसी संदर्भ में यह स्पष्ट किया गया कि तत्पश्चात राजीव कुमार ने चालक को जुर्म से आगाह कर मौके पर ही ट्रेक्टर मय ट्रोली भरे पत्थर को धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भादंसं में जप्त कर चालक को अपने अधिकारों से अवगत कराकर गिरफ्तार किया तथा थानाधिकारी द्वारा मुकदमा कराने पर तफ्तीश हरीकिशन को सुपुर्द की जिन्होंने उसके बयान लिए। अपने मुख्य परीक्षण के अंत में गवाह ने यह स्पष्ट किया कि मौके पर पहुँचकर नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अपने प्रति परीक्षण में गवाह ने यह स्पष्ट किया कि घटनास्थल

से थाने की दूरी पांच से सात किलोमीटर की थी। इसके अतिरिक्त गवाह ने स्पष्ट किया कि वह सरकारी जीप से रवाना हुआ तथा जीप के नम्बर आरजे 29 यूए आगे ध्यान नहीं है तथा घटना से करीब सालभर पहले वह थाने पर कार्यरत था। गवाह आगे यह भी स्पष्ट करता है कि चालक व ट्रेक्टर को थानाधिकारी ने जप्ते की मदद से रूकवाया और राजीव डूडी भारसाधक अधिकारी थे तथा उनके अधीनस्थ ही वे नौकरी करते थे। इसके अतिरिक्त गवाह यह जाहिर करता है कि ट्रेक्टर चालक से नाम पता पूछा और ट्रेक्टर के कागजात तथा लाइसेंस के बारे में पूछा गया। इसी के अग्रसरण में गवाह ने आगे यह स्पष्ट किया कि घटनास्थल पर पहुँचने में आधा घंटा लगा तथा उस समय फाटक बंद था या नहीं उसे इस बात की जानकारी नहीं। गवाह आगे यह भी स्पष्ट करता है कि वह नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 में एक्स स्थान पर ट्रेक्टर ट्रोली का चित्र नहीं बना रखा तथा नक्शा मौका में स्वतंत्र गवाह नहीं बनाये थे क्योंकि स्वतंत्र गवाह पुलिस के लफडे में नहीं पडना चाहते हैं। अपने प्रति परीक्षण में गवाह आगे यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने पत्थर की केटेगरी का पता लगाने का लाइसेंस नहीं ले रखा है और ट्रेक्टर ट्रोली मय पत्थर को भरकर जप्ती बनायी थी तथा चेजा पत्थर मकान, दुकान बनाने के काम लाये जाते हैं। अपने प्रति परीक्षण के अंत में गवाह स्पष्ट करता है कि ट्रेक्टर को घटनास्थल से जीप चालक चलाकर लाया था तथा पुलिस जीप को उनमें से कोई चलाकर लाया था आज ध्यान नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में दिनांक 06.06.2015 को गश्त के दौरान 9.40 एएम पर पीएचसी उपस्वास्थ्य केन्द्र गुल्लाना में पहुँचना, मुलजिम पप्पूराम से ट्रेक्टर स्वराज 735 मय ट्रोली पत्थर जप्त किया जाना स्पष्ट करते हुए जाहिर किया कि इस संदर्भ में मुलजिम से पूछताछ राजीव डूडी द्वारा की गई थी तथा नक्शा मौका में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है।

11– इसी के अग्रसरण में प्रकरण के अन्य चश्मदीद गवाह पी.डब्लू. 2 महावीर के बयानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 06.06.2015 को थाना बसवा में कांस्टेबल के पद पर तैनात होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उस दिन समय करीब 9.10 एएम पर थानाधिकारी राजीव डूडी, कांस्टेबल शीशराम, कांस्टेबल सुरेश मय चालक मुकेश कुमार के साथ वास्ते गश्त तथा निगरानी बदमाशान व लोकल स्पेशल एक्ट की कार्यवाही करने के लिए रवाना होकर

करीब 9.40 एएम पर गुल्लाना पहुँचे तो बांदीकुई की तरफ से एक ट्रेक्टर स्वराज 735 रंग नीला आता दिखाई दिया। इसी के अग्रसरण में गवाह ने स्पष्ट किया कि उसकी ट्रॉली में करीब 70 मय चेजा पत्थर भरे थे तथा ट्रेक्टर को रूकवाकर इंचार्ज साहब द्वारा चालक से पत्थर लाने और ले जाने बाबत लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं होना बताया और चालक का नाम पता पूछा तो चालक ने अपना नाम पप्पूराम होना बताया। इसी संदर्भ में गवाह द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि पप्पूराम द्वारा करनावर की पहाडी से पत्थर चोरी करके लाना बताया जिस पर उसे धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भादंसं के तहत गिरफ्तार कर ट्रेक्टर मय ट्रॉली को जप्त किया गया तथा थाना के लिए रवाना हुए। इसके आगे गवाह द्वारा ट्रेक्टर को जीप चालक द्वारा थाने पर चलाकर लाना स्पष्ट करते हुए जाहिर किया कि फर्द जप्ती प्रदर्श पी 2 और फर्द गिरफ्तारी मुलजिम प्रदर्श पी 9 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अपने प्रति परीक्षण में गवाह द्वारा यह जाहिर किया कि फर्द जप्ती और फर्द गिरफ्तारी की कार्यवाही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले हो गई थी तथा प्रदर्श पी 2 और प्रदर्श पी 3 की कार्यवाही करने के पश्चात ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। इसके आगे गवाह द्वारा स्पष्ट किया कि फर्द बरामदगी 9.50 एएम पर, फर्द गिरफ्तारी फर्द 10 एएम पर तैयार की गई और उक्त घटना की रिपोर्ट उसी दिन 10.45 एएम पर दर्ज की गई थी। इसी के अग्रसरण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 2 और प्रदर्श पी 3 की कार्यवाही आईओ द्वारा नहीं की गई थी। इसके आगे गवाह ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा चालक से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं की। गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि जप्तशुदा पत्थर सत्तर मण की तुलाई उसके द्वारा नहीं की गई। अतः यह स्पष्ट है कि गवाह द्वारा भी अपने बयानों में दिनांक 06.06.2015 को गश्त के दौरान मुलजिम पप्पूराम से ट्रेक्टर स्वराज 735 मय ट्रोली में सत्तर मण पत्थर जप्त किया जाना स्पष्ट करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर आदेश होने के उपरांत थानाधिकारी और एफआईआर दर्ज कराने के कथन किए हैं।

12– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लू. 4 विनेश के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 7.6.15 को पीएस बसवा पर एफसी के पद पर कार्यरत होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि हरिकिशन एचसी ने मु.नं. 151/15 अन्तर्गत धारा 41/42 वन अधिनियम व 379

भादंसं में तथा 3/81, 146/136, 39/192 में जप्तशुदा ट्रेक्टर के कागजात मुलजिम पप्पूराम ने आरसी पेश की थी जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 6 पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में दिनांक 07.06.2015 को हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर के कागजात जरिये प्रदर्श पी 6 मुलजिम से जप्त किया जाना स्पष्ट किया है।

13– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लू. 5 रामजीलाल के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में यह स्पष्ट किया कि वह गुढाकटला में वनपाल के पद पर वर्ष 2015 में कार्यरत था तथा थाना बसवा पर खडे ट्रेक्टर स्वराज नीला सफेद 735 एफई जिसमें पत्थर थे जिनकी पहचान उसके द्वारा करवाई थी जो करनावर की पहाडी के थे जो अवैध खनन में आते हैं। इसके आगे गवाह यह जाहिर करता है कि इस बाबत उसे नोटिस प्रदर्श पी 8 मिला था तथा ई से एफ भाग पर उसकी इबारत है और सी से डी भाग में उसके हस्ताक्षर है। अपने प्रति परीक्षण में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार कि उसेस रिपोर्ट दिनांक 08.06.2015 को मांगी थी तथा उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि पत्थर को भरी ट्रोली कब जप्त की थी। गवाह ने आगे इस तथ्य को स्वीकार किया कि जिस ट्रोली में पत्थर भरे थे वो ट्रोली पत्थरों से भरी थी, सामने नहीं आई थी तथा दिनांक 08.06.2015 को नोटिस मिलने के उपरांत उसके द्वारा दिनांक 12.06.2015 को नोटिस का जवाब दिया था। इसी के अग्रसरण में गवाह ने यह भी स्पष्ट किया कि वह दिनांक 12.06.2015 को गया था और उससे पहले पत्थरों में हेराफेरी हुई हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह यह भी जाहिर करता है कि उसने ऐसा कोई डिप्लोमा नहीं कर रखा है जिससे वह बता सकता हो कि पत्थर किस पहाडी के हैं। इस संदर्भ में गवाह यह स्पष्ट करता है कि ई से एफ रिपोर्ट उसकी संभावनाओं पर आधारित है इसलिए वह पक्का नहीं बता सकता कि पत्थर करनावर की पहाडी के हैं। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा जहां अपने मुख्य परीक्षण में ट्रेक्टर स्वराज 735 एफई में भरे पत्थर करनावर की पहाडी के होना जाहिर किया है, वहीं अपने प्रति परीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उक्त तथ्य तथा रिपोर्ट प्रदर्श पी 8 में वर्णित तथ्य उसने अपनी संभावनाओं के आधार पर बताये हैं और वह पक्का नहीं बता सकता कि पत्थर करनावर की पहाडी के हों। अतः यह स्पष्ट है कि गवाह द्वारा अपने प्रति

परीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि उसने हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा पत्थर करनावर की पहाडी के होना मात्र संभावनाओं के आधार पर बताया था।

14– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लू. 6 सुरेश चंद के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 6.6.15 को पीएस बसवा पर एफसी के पद पर कार्यरत होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उस दिन समय 9.10 एएम पर वह, एसएचओ राजीव कुमार डूडी के साथ गश्त में गया था तथा उसके साथ कांस्टेबल शीशराम, महावीर भी थे तथा गश्त करते हुए गुल्लाना 9.40 एएम पर पहुँचे जहां पर उप स्वास्थ्य केन्द्र के पास बांदीकुई की तरफ से एक ट्रेक्टर मय ट्रॉली के ट्रेक्टर स्वराज आता दिखाई दिया। इसी के अग्रसरण में गवाह ने जाहिर किया कि उसे एसएचओ ने रोका तो उसमें सत्तर मन पत्थर से भरे थे और चालक से नाम पूछा तो पप्पूराम होना बताया। गवाह ने आगे यह भी जाहिर किया कि ट्रेक्टर ट्रॉली में भरे पत्थर के बारे में रवन्ना व लाइसेंस के बारे में पूछा तो नहीं बताया तथा पत्थर करनावर की पहाडी से लाना बताया। इसी के अग्रसरण में गवाह ने जाहिर किया कि मौके पर एसएचओ द्वारा उनके सामने ट्रेक्टर ट्रॉली पत्थरों से भरी को जप्त किया तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी 2 है। अपने मुख्य परीक्षण के अंत में गवाह ने पप्पूराम को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी 3 पर उसके सी से डी हस्ताक्षर होना जाहिर किया। अपने प्रति परीक्षण में गवाह ने जाहिर किया कि वह गश्त के लिए जा रहे थे तो पत्थर खनन करके लाया जा रहा था ऐसी सूचना एसएचओ को मिली होगी। उसे नहीं मिली। इसके आगे गवाह द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया कि मुलजिम को गिरफ्तार कर ट्रेक्टर ट्रोली को जप्त एफआईआर दर्ज होने के बाद किया था तथा पत्थर की तुलाई कांटे पर नहीं कराई थी। इसके आगे गवाह द्वारा वापस 11 बजे थाने आना जाहिर करते हुए प्रदर्श पी 5 रोजनामचा रपट 10.45 की होना स्पष्ट किया है। इसके आगे गवाह द्वारा इस तथ्य को वीकार किया कि उसके सामने उक्त ट्रोली से पत्थर लेकर एफएसएल हेतु नहीं भेजे गये थे। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा अपने बयानों में दिनांक 06.02.2015 को गश्त के दौरान मुलजिम पप्पूराम से ट्रेक्टर ट्रोली से सत्तर मण पत्थर जप्त किया जाना स्पष्ट किया है।

15– इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लू. 7 प्रतापसिंह के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा दिनांक 12.06.2015 को पटवारी

के पद पर कार्यरत होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उस दिन उसके द्वारा खसरा नम्बर 357 ग्राम करनावर का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 9 और नकल जमाबंदी प्रदर्श पी 10 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर होना जाहिर किया है। अपने प्रति परीक्षण में गवाह द्वारा प्रदर्श पी 9 व प्रदर्श पी 10 में जमीन चारागाह की अंकित होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि चरागाह का अर्थ खुला स्थान व गाय भैसों का चरने का स्थान होता है। इसके आगे गवाह द्वारा प्रदर्श पी 9 और प्रदर्श पी 10 में गैर मुमकिन पहाड अंकित नही होना जाहिर करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि मुलजिम ने उसे मौके पर ले जाकर उस स्थान के बारे में नहीं बताया जहां से पत्थर चोरी हुये हो। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा खसरा नम्बर 357 ग्राम करनावर का नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी 9 और नकल जमाबंदी प्रदर्श पी 10 पर उसके हस्ताक्षर होना जाहिर करते हुए इस तथ्य को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी 9 व 10 में करनावर का पहाड अंकित नहीं है तथा जमीन चारागाह किस्म की है।

16– इसके अतिरिक्त यदि प्रकरण के अन्य गवाह पी.डब्लू. 8 विमल के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा उसके पास स्वराज 725 ट्रैक्टर होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उसके नंबर उसे पता नहीं है तथा उसने उस ट्रैक्टर को कब खरीदा था उसे याद नहीं है। इसी के अग्रसरण में गवाह द्वारा स्पष्ट किया कि उसने मुन्नालाल से लगभग 10–12 साल पहले खरीदा था तथा उसने इस ट्रैक्टर को डेड–दो साल के लिए रखा था। इसी के अग्रसरण में गवाह ने स्पष्ट किया कि इस ट्रेक्टर को पप्पूराम निवासी करनावर को एक लाख सत्तर हजार रूपये के लगभग बेचा था और प्रदर्श पी 07 का नोटिस उसे पुलिस द्वारा दिया गया था। गवाह द्वारा आगे यह जाहिर किया कि उसे यह पता नहीं कि ट्रैक्टर क्यों पकडा था जिस पर उक्त गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा अपने प्रति परीक्षण में गवाह द्वारा प्रदर्श पी 07 का इ से एफ भाग पुलिस को नहीं बताया जाना स्पष्ट किया है। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा स्वयं ट्रेक्टर को पप्पूराम को बेचना जाहिर करते हुए प्रदर्श पी 7 पर ई से एफ भाग पुलिस को नहीं देना बताया है।

17– इसी के अग्रसरण में गवाह पी.डब्लू. 10 अशोक कुमार के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में दिनांक 06.06.2015 को पीएस बसवा में एचएम मालखाना के पद पर पदस्थापित होना जाहिर करते हुए स्पष्ट

किया कि उस दिन उसके द्वारा मुकदमा नम्बर 151/2015 में जप्तशुदा ट्रेक्टर स्वराज 733 मय ट्रोली जिसमें सत्तर मण पत्थर भरे हुए थे, को मुताबिक फर्द के जमा मालखाना किया तथा उक्त माल एसएचओ राजीव कुमार डूडी के द्वारा जप्त किया जाना स्पष्ट करते हुए जाहिर किया कि उनके द्वारा मालखाना में जमा कराया था तथा रजिस्टर प्रदर्श पी 13 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। अपने प्रति परीक्षण में गवाह द्वारा ट्रेक्टर बिना नम्बरी होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उसकी जानकारी में नहीं है कि इंजन नम्बर, चेचिस नम्बर क्या थे तथा पत्थर कहां से निकाले थे। अतः यह स्पष्ट है कि उक्त गवाह द्वारा दिनांक 06.06.2015 को हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा ट्रेक्टर मय पत्थर को मालखाना में जमा किया जाना अपने बयानों में स्पष्ट किया है।

18– इसी के अग्रसरण में यदि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लू. 3 हरिकिशन के बयानों का अवलोकन किया जावे तो उक्त गवाह द्वारा दिनांक 06.06.2015 को थाना बसवा में एचसी के पद पर तैनात होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि उस दिन मुकदमा नम्बर 151/15 धारा 41/42 वन अधिनियम एवं 379 भादंसं का अनुसंधान एसएचओ राजीव कुमार ने उसे सुपुर्द किया जाना स्पष्ट करते हुए जाहिर किया कि चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4 पर ए से बी एसएचओ राजीव कुमार के हस्ताक्षर है। इसी के अग्रसरण में गवाह ने स्पष्ट किया कि मजरूब रिपोर्ट प्रदर्श पी 5 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है तथा उसके द्वारा फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 और फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 3 शामिल पत्रावली की गई और दौराने अनुसंधान उसने घटनास्थल पर पहुँचकर नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पी 1 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इसी के अग्रसरण में गवाह द्वारा फर्द जप्ती आरसी ट्रेक्टर आरजे 02 आर 3224 प्रदर्श पी 6 पर ए से बी उसके और सी से डी मुलजिम पप्पू और ई से एफ व जी से एच गवाहों के हस्ताक्षर होना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि गवाहान के बयान लेखबद्ध किए गए तथा वाहन मालिक विमल कुमार को 133 एमवी एक्ट का नोटिस दिया। इसी के अग्रसरण में गवाह ने यह भी जाहिर किया कि वाहन मालिक विमल द्वारा अपने जवाब में यह बताया घटना के 30–35 दिन पहले ही ट्रेक्टर पप्पूराम को बेच दिया था। इसी के अग्रसरण में गवाह ने स्पष्ट किया कि उसके द्वारा वनपाल गुढाकटला को पत्थरों की सूचना बाबत तहरीर प्रदर्श पी 8 दी जिसमें वनपाल ने बताया कि उक्त पत्थर करनावर के पहाड के हैं। इसी संदर्भ में

गवाह द्वारा जमाबंदी प्रदर्श पी 10 शामिल पत्रावली किया जाना जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि अनुसंधान के पश्चात मुलजिम पप्पूराम के विरूद्ध धारा 41/42 वन अधिनियम व 379 भादंसं, 3/181 व 39/192, 146/196 एमवी एक्ट में जुर्म प्रमाणित पाये जाने का कथन किया। गवाह ने अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके द्वारा पत्थर से भरे ट्रेक्टर को जप्त नहीं किया था। गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पत्थर से भरे हुए ट्रेक्टर से पत्थर एफएसएल के लिए नहीं भेजे थे। इसी संदर्भ में गवाह ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जिस स्थान पर पत्थर चोरी होना बताया उसमें मौके पर जाकर पहाड की कोई तस्दीक नहीं की थी।

19– मुलजिम पर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से पूर्व सुसंगत विधि का अवलोकन किया गया। इस संदर्भ में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि वन उपज के अन्तर्गत क्या–क्या वस्तुएं आती हैं।

"2(4) "forest–produce" includes––
(a) the following whether found in, or brought from, a forest or not, that is to say:––
timber, charcoal, caoutchouc, catechu, wood–oil, resin, natural varnish, bark, lac, mahua flowers, mahua seeds 1[ , kuth] and myrabolams, and
(b) the following when found in, or brought from, a forest, that is to say:––
(i) trees and leaves, flowers and fruits, and all other parts or produce not hereinbefore mentioned, of trees,
(ii) plants not being trees (including grass, creepers, reeds and moss), and all parts or produce of such plants,
(iii) wild animals and skins, tusks, horns, bones, silk, cocoons, honey and wax, and all other parts or produce of animals, and
(iv) peat, surface soil, rock, and minerals (including limestone, laterite, mineral oils, and all products of mines or quarries)"

20– अतः भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(4) के ध्यानपूर्वक अवलोकन से स्पष्ट हे कि जब पत्थर वन में पाया जाता है या वन से लाया जाता है तब ही वह वन उपज के अन्तर्गत आता है। अतः स्पष्ट है कि मुलजिम के विरूद्ध भारतीय वन

अधिनियम 1927 की धारा 42 के अन्तर्गत अपराध साबित करने के लिए सर्वप्रथम अभियोजन पक्ष को यह साबित करना था कि हस्ततगत प्रकरण में जप्तशुदा पत्थर वन उपज की श्रेणी में आते हैं। इस संदर्भ में अभियोजन को यह भी साबित करना था कि अभियुक्त तथाकथित वन उपज जो वन विभाग की सम्पत्ति थी, को बिना उसकी सहमति के बेईमानीपूर्वक चुराकर ट्रेक्अर से ले जा रहा था।

21– सुसंगत विधि के अध्ययन करने के उपरांत यदि हस्तगत प्रकरण के मुलजिम पर लगाये गये आरोपों के संदर्भ में समस्त पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जावे तो न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर आया है कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आया है। इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के चश्मदीद गवाह पी.डब्लू. 1 शीशराम, पी.डब्लू. 2 महावीर, पी.डब्लू. 6 सुरेश चंद द्वारा अपने बयानों में दिनांक 06.06.2015 को गश्त के दौरान मुलजिम पप्पूराम से ट्रेक्टर स्वराज 735 एफई मय ट्रोली में भरे हुए पत्थरों को जप्त किया जाना अपने बयानों में जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि मुलजिम से पूछताछ व सम्पूर्ण कार्यवाही थानाधिकारी राजीव कुमार डूडी द्वारा की गई थी। इसी परिप्रेक्ष्य में यह जाहिर है कि उपरोक्त किसी भी गवाहान द्वारा पत्थर जहां से लाये गये थे, उस जगह जाने के संदर्भ में कोई कथन अपने बयानों में नहीं किए हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लू. 3 हरिकिशन द्वारा भी अपने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया कि उसके द्वारा मौके पर जाकर पहाड की कोई तस्दीक नहीं की थी। इसी संदर्भ में यदि पी.डब्लू. 5 रामजीलाल के बयानों का अवलोकन किया जावे तो यह स्पष्ट है कि जहां गवाह द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ट्रेक्टर स्वराज नीला सफेद 735 एफई की पहचान कर करनावर की पहाडी के होना जाहिर किया है, वहीं अपने प्रति परीक्षण में यह स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी 8 में वर्णित रिपोर्ट उसने संभावनाओं के आधार पर दी थी तथा वह पक्का नहीं बता सकता कि उक्त पहाड करनावर की पहाडी के हों। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह प्रतापसिंह द्वारा अपने बयानों में खसरा नम्बर 357 ग्राम करनावर की भूमि को रिकॉर्ड के अनुसार गैर मुमकिन पहाड अंकित नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार करते हुए जमीन चारागाह किस्म की होना स्पष्ट किया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों से न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभरकर आया है कि जहां हस्तगत प्रकरण के परिवादी को

अभियोजन द्वारा बतौर गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षि नहीं कराया है, वहीं अन्य चश्मदीद साक्षीगण पी.डब्लू. 1 शीशराम, पी.डब्लू. 2 महावीर, पी.डब्लू. 6 सुरेश चंद द्वारा अपने बयानों में गश्त के दौरान परिवादी द्वारा मुलजिम से पूछताछ करने के उपरां ट्रेक्टर मय ट्रोली मय पत्थर को जप्त किया जाना स्पष्ट करते हुए जाहिर किया कि मुलजिम द्वारा बताया गया था कि उक्त पत्थर वह करनावर की पहाडी से लाया है। इसी संदर्भ में पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी द्वारा अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार किया कि जहां से पत्थर लाये गये थे उस स्थान को उसके द्वारा अपने अनसुंधान में तस्दीक नहीं किया है तथा समस्त पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से ऐसा कोई तथ्य उभरकर नहीं आया है कि परिवादी या अन्य चश्मदीद साक्षीगण द्वारा तथाकथित पहाडी पर जाकर मुलजिम या वन विभाग से पत्थर चोरी किए गए स्थान को तस्दीक कराये हों। यह पूर्व में ही स्पष्ट किया जा चुका है कि वन विभाग के अधिकारी द्वारा मात्र अपनी संभावनाओं के आधार पर करनावर पहाडी के पहाड होना जाहिर करते हुए यह जाहिर किया है कि वह पक्का नहीं बता सकता कि प्रकरण में जप्तशुदा पत्थर करनावर पहाडी की हो। इसी परिप्रेक्ष्य में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई गवाह भी न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जो यह स्पष्ट करता हो कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा पत्थर उसके कब्जे में थे। अतः उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं हो पाया हे कि मुलजिम द्वारा जप्तशुदा पत्थर वन में पाये गये थे या वन से लाये गये हो। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि पत्रावली पर मौजूद समस्त साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हस्तगत प्रकरण में जप्तशुदा पत्थर वन विभाग की सम्पत्ति हो। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन से यह जाहिर है कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 06.06.2015 को किसी समय मौजा करनावर के पहाड से वन विभाग की सहमति के बिना बेईमानीपूर्वक ले लेने के आशय से वन विभाग के कब्जे से करीब 70 मन पत्थर हटाये तथा अवैध रूप से वन विभाग की सम्पदा पत्थर एक बिना नम्बरी ट्रेक्टर बिना वैध अनुज्ञा पत्र के चालक अनुज्ञप्ति, बीमा प्रमाण पत्र एवं पंजीकरण के परिवहन किया हो।

22– इस प्रकार पत्रावली पर मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से अभियुक्त को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय

दंड संहिता व धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित है।

## आदेश

23– परिणामस्वरूप अभियुक्त पप्पूराम पुत्र रामस्वरूप, उम्र 50 साल, निवासी ग्राम करनावर, थाना बसवा, जिला दौसा को धारा 41, 42 वन अधिनियम व 379 भारतीय दंड संहिता व धारा 3/181, 39/192, 146/196 मोटरयान अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

24– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जो पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिया गया है, उसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील अपील ना होने की दशा में निरस्त समझा जावे।

**(रोमा भाटिया)**
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदीकुई, जिला दौसा।

25– निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को खुले न्यायालय में लिखाया व सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

**(रोमा भाटिया)**
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांदीकुई, जिला दौसा।